

मध्य प्रदेश मंत्रपरिषद की बैठक

चर्चा में क्यों?

13 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्य मंत्रपरिषद की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा ली गई।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रपरिषद द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अनन्य पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग/कैरीफॉरवर्ड पदों तथा नशिकृतजनों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये विशेष भरती अभियान की समय-सीमा में 1 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2022 तक एक वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।
- एथेनॉल एवं जैव ईंधन के उत्पादन से जुड़े प्लांट एवं मशीनरी में कथि गए पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक, पेट्रोलियम तेल उत्पादन कंपनियों को इकाई द्वारा उत्पादित एथेनॉल प्रदाय करने पर 1.50 रुपए प्रतिलीटर की वित्तीय सहायता वाणिज्यिक उत्पादन की ओर से 7 वर्ष के लिये प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- इकाइयों के लिये भूमि क्रय करने पर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की 100 प्रतिशत प्रतपूर्ति की जाएगी। वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 साल के लिये वदियुत शुल्क में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
- मंत्रपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा (भरती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2017 के नियम-14 के बाद 14 (अ) जोड़े जाने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत अभ्यर्थी से नियमिती नयिकृती के समय इस आशय का 5 लाख रुपए का बंधपत्र नषिपादति कराया जाएगा कडिसे पदभार ग्रहण करने के पश्चात् न्यूनतम 3 वर्ष तक सेवाएँ देना अनवियर्य होगा, अन्यथा कसिी भी कारण से त्यागपत्र देकर सेवाएँ नहीं देने पर उक्त राशाया 3 महीने के वेतन और भत्ते के बराबर राशा, जो भी अधिक हो, देना होगा।
- मंत्रपरिषद द्वारा मानसकि चकितिसालय, इंदौर का 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में उन्नयन कथि जाने के लिये नवीन एस.ओ.आर. दरों के अनुसार परयोजना हेतु 33.1 करोड़ रुपए की स्वीकृती और संस्था में पूर्व से स्वीकृती 25 पदों को समरपति करते हुए 13 नवीन पदों के सृजन की प्रशासकीय स्वीकृती प्रदान की गई।
- मंत्रपरिषद द्वारा कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के उत्पादों का प्रमोशन, ब्रांड बलिडगि और वपिणन अधोसंरचना नवीन योजना का अनुमोदन कथि गया। योजना के परयोजना अभलिख (DPR) में प्रमुखतः तीन मदों- ब्रांड प्रमोशन, ई-कॉमर्स प्रचार-प्रसार और वपिणन अधोसंरचना वकिस में व्यय कथि जाएगा।
- यह नवीन योजना सभी ग्रामोद्योगी उत्पाद, मृगनयनी (हथकरघा/हस्तशलिप उत्पाद), कबीरा (खादी उत्पाद), वधिया वैली (ग्रामोद्योग उत्पाद) और प्राकृती (रेशम उत्पादों) के लिये लागू होगी।